

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार अधिनियम)
मंत्रालय
डाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 318 / जी-756 / 2009 / 1-सूअप्र

रायपुर, दिनांक 30 जून, 2009

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

28 JUL 2009

Scg/SIC Sub

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के संबंध में डॉ. सेल्सा पिटों बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग के मामले में 2007 की रिट याचिका सं. 419 में गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय का दिनांक 3.4.2008 का निर्णय।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/7/2009-आई.आर. दिनांक 01 जून 2009 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अ.आ. मिश्रा

(के.आर. मिश्रा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ० क्रमांक / जी-756 / 2009 / 1-सूअप्र
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक जून, 2009

- (1) श्री कृष्ण गोपाल वर्मा, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली की ओर पत्र क्रमांक 1/7/2009-आई.आर., दिनांक 01 जून 2009 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (2) सचिव, छ.ग. राज्य सूचना आयोग, शंकर नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सूचना सूचना आयोग
क्रमांक 6081/
29 JUL 2009
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या: 1/7/2009-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक 01 जून, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के संबंध में डॉ. सेल्सा पिंटो बनाम गोवा राज्य, सूचना आयोग के मामले में 2007 की रिट याचिका सं. 419 में गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय का दिनांक 3.4.2008 का निर्णय ।

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित मामले में गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय ने 3.4.200 को यह निर्णय दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में यथा परिभाषित शब्द 'सूचना' में 'क्यों' जैसे प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं किए जा सकते । निर्णय का संगत भाग नीचे दोहराया जाता है :

“सूचना की परिभाषा अपने दायरे में 'क्यों' वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती है । ऐसे प्रश्न किसी मामले विशेष के औचित्य के बारे में पूछने जैसा ही होगा । लोक सूचना प्राधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है, किन्तु इस बात का कारण संसूचित किए जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया । औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है ।”

2. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।



(कृष्ण गोपाल वर्मा)

निदेशक

दूरभाष : 23092158

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग ।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
6. सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग ।

प्रतिलिपि:-

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव ।